पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नई दिल्ली

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
(सीआईएन नं. L65910DL1986GOI024862)
"ऊर्जानिधि", 1, बाराखंबा लेन
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001
फोन नं./फैक्स नं. 011-23456740
www.pfcindia.com , ईमेल- mb@pfcindia.com

अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता

और

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के विनियमन, उसकी मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग हेतु आचार संहिता

[सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) (संशोधन), विनियम-2018 द्वारा यथा संशोधित सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम – 2015 के विनियम 8 एवं 9 के अनुसरण में]

(17 मई, 2019 से लागू)

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नई दिल्ली

अध्याय –I

1.0 प्रारंभिक:

1. पृष्ठभूमि

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग) विनियम, 1992 के अनुसरण में, कंपनी ने व्यापक इनसाइडर ट्रेडिंग संहिता तैयार की है, जिसे 18.05.2006 को आयोजित निदेशक मंडल की 223वीं बैठक में अनुमोदित और अंगीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त, सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) (संशोधन) विनियम, 2008 और सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) (संशोधन) विनियम, 2011 के अनुसार, उक्त संहिता में हुए संशोधनों को बोर्ड द्वारा क्रमश: 19.02.2009 और 23.12.2011 को आयोजित 254वीं बैठक और 294वीं बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया था।

सेबी ने दिनांक 15.01.2015 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा, सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992 को निरसित करते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया, जो 15 मई 2015 से लागू थे। पीएफ़सी की इनसाइडर ट्रेडिंग संहिता का 15.01.2015 को अधिसूचित सेबी की इनसाइडर ट्रेडिंग संहिता के साथ तालमेल रखने के लिए, पीएफसी के निदेशक मंडल ने 15 मई 2015 को आयोजित अपनी 334 वीं बैठक में इनसाइडर द्वारा विनियमन और रिपोर्टिंग व्यापार के लिए और निष्पक्ष प्रकटीकरण, 2015 के लिए पीएफ़सी आचार संहिता को अनुमोदन प्रदान किया है।

सेबी ने 31 दिसंबर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया, जो 01.04.2019 से लागू हैं। इसके अतिरिक्त, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने दिनांक 2 अप्रैल, 2019 के परिपत्र संदर्भ संख्या: एनएसई/सीएमएल/2019/11 द्वारा व्यापार प्रतिबंध अवधि के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया।

तदनुसार, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड ने दिनांक 17.05.2019 को आयोजित अपनी बैठक में "इनसाइडर द्वारा विनियमन और रिपोर्टिंग व्यापार (ट्रेडिंग) के लिए आचार संहिता और निष्पक्ष प्रकटीकरण, 2015" का अधिक्रमण करते हुए संशोधित अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता" को मंजूरी प्रदान कर दी है।

यह अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता और प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता" भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 यथा संशोधित के अध्याय-IV के विनियम 8 एवं 9 के अनुसार तैयार की गई है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नई दिल्ली

अध्याय – II

2.0 परिभाषाएं

2.1 "अधिनियम" से अभिप्राय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 होगा।

2.2 "सहयोगी कंपनी" से अभिप्राय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6) में यथा परिभाषित कंपनी से होगा।

2.3 "लेखापरीक्षा समिति" से अभिप्राय समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार गठित कंपनी के बोर्ड की समिति से होगा।

2.4 "निदेशक मंडल" से अभिप्राय कंपनी के निदेशक मंडल से है।

2.5 "संहिता" से अभिप्राय अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग हेतु आचार संहिता इसमें कंपनी द्वारा समय-समय पर किए गए आशोधन शामिल हैं।

2.6 "कंपनी" से अभिप्राय पवार फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या पीएफ़सी से है।

2.7 "अनुपालन अधिकारी" से अभिप्राय कंपनी सचिव या ऐसे किसी वरिष्ठ अधिकारी से है जो इस प्रकार पदनामित हो और जो निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता हो, जिसे वित्त संबंधी ज्ञान हो तथा जो इन विनियमों के अधीन विधिक एवं विनियामक अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं को ठीक-ठीक समझने में समर्थ हो और जो, यथास्थिति, सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल के प्रधान के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन नीतियों, प्रक्रियाओं, रिकॉर्ड रखने, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी रखने संबंधी नियमों के पालन की मॉनीटरिंग करने, ट्रेड की मॉनीटरिंग करने तथा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट संहिताओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।

2.8 "संबद्ध व्यक्ति" से अभिप्राय है :

(i) पदनामित व्यक्ति (यों) से

(ii) ऐसा व्यक्ति जो किसी कंपनी से सहयुक्त (एसोशिएटिड) है या संबंधित क्रियाकलाप से छह महीने पूर्व की अवधि के दौरान सहयुक्त (एसोशिएटिड) रहा हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी हैसियत से, जिसमें शामिल हैं – चाहे उसके अधिकारियों के साथ बार-बार संपर्क के कारण हो अथवा किसी संविदात्मक संबंध, वैश्वासिक संबंध या कार्यरत व्यक्ति (नियोजित व्यक्ति) के संबंध के तौर पर हो अथवा कंपनी के निदेशक, अधिकारी या कार्मिक के तौर पर हो अथवा वह कोई पद धारण करता हो जिसके अंतर्गत उसके तथा कंपनी के बीच प्रोफेशनल या कारोबारी संबंध, चाहे अस्थायी हो या स्थायी सम्मिलित है, जो ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक पहुँच (एक्सेस) रखने देता हो अथवा जिसके संबंध में इस प्रकार पहुँच रखने देना युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित हो।

(iii) पूर्ववर्ती की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित श्रेणियों मे आने वाले व्यक्तियों के बारे में प्रतिकूल सिद्ध होने तक यह माना जाएगा कि वे संबद्ध व्यक्ति हैं -

(क) खंड (i) एवं (ii) में विनिर्दिष्ट संबद्ध व्यक्तियों का निकटतम संबंधी: अथवा

(ख) धारक (होल्डिंग) कंपनी या सहयोगी (एसोशिएट) कंपनी अथवा सहायक कंपनी: अथवा

(ग) अधिनियम की धारा 12 में यथा विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती या उसका कार्मिक अथवा निदेशक: अथवा

(घ) निवेश कंपनी (इंवेस्टमेंट कंपनी), न्यासी कंपनी (ट्रस्टी कंपनी), परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी या उसका कार्मिक अथवा निदेशक: अथवा

(ङ) स्टॉक एक्सचेंज का अथवा समाशोधन गृह (क्लीयरिंग हाउस) या कॉर्पोरेशन का कोई कार्मिक; अथवा

(च) म्यूचुअल फंड के न्यासी बोर्ड का सदस्य या म्यूचुअल फंड की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के निदेशक मंडल का सदस्य या उसका कार्मिक; अथवा

(छ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72) में यथा परिभाषित लोक वित्तीय संस्थान (पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन) के निदेशक मंडल का सदस्य, या कार्मिक; अथवा

(ज) सेबी द्वारा मान्यताप्राप्त या प्राधिकृत स्व-विनियामक संगठन का अधिकारी या कार्मिक; अथवा

(झ) कंपनी का बैंकर ; अथवा

(ञ) समुद्यम, फर्म, न्यास, हिन्दू अविभाजित परिवार, कंपनी या व्यक्तियों का संगम जिनमें कंपनी के निदेशक या उसके निकटतम संबंधी या कंपनी के बैंकर की धारिता (होल्डिंग), या का हित (इंटरेस्ट) का 10% से अधिक हो।

2.9 "प्रतिभूतियों में व्यवहार (डील) करना" से अभिप्राय कंपनी की प्रतिभूतियों में मुख्य तौर पर या एजेंट के रूप में सब्सक्राइब करने, खरीदने, बेचने या सब्सक्राइब करने, खरीदने, बेचने या व्यवहार (डील) करने में सहमत होने के कार्य से है।

2.10 "पदनामित व्यक्ति (यों)" से अभिप्राय है –

(i) प्रोमोटर (प्रोमोटरों)/ प्रोमोटर ग्रुप (ग्रुपों)

(ii) कंपनी के पदनामित कार्मिक जिनमें शामिल हैं :

(क) बोर्ड के सभी सदस्य एवं सीवीओ

(ख) पीएफ़सी के ई-8 या इससे ऊपर (अथवा समकक्ष) के सभी कार्यपालक इनमें सहायक कंपनियों, एसोसिएट (सहयोगी) कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों में दूसरे आधार पर शामिल कार्यपालक हैं।

(ग) पीएफ़सी की निम्नलिखित यूनिटों और इसके पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों में कार्यरत सभी कार्मिक जो संहिता में यथा परिभाषित कीमत संवेदनशील जानकारी तक पहुंच रखते हों :

(1) कंपनी सचिवालय

(2) निगमित लेखा

(3) आंतरिक लेखापरीक्षा

(4) निगमित आयोजना

(5) जन-संपर्क

(6) परिसंपत्ति समीक्षा मॉनीटरिंग

(7) दबावग्रस्त (स्ट्रेस्ड) परिसंपत्ति पुनरोद्धार(रिवाइवल)

(8) पुनर्गठित परिसंपत्ति यूनिट

(9) गठित (स्ट्रक्चर्ड) उत्पाद समूह

(10) संसाधन जुटाव

(11) कराधान

(12) निधि प्रबंधन एवं बैंकिंग

(13) एफ़ए एंड एस, सीआरएम

(14) प्रबंधन प्रणाली

(15) सीएमडी सचिवालय और सभी कार्यात्मक (फंक्शनल) निदेशक

(घ) कंपनी, इसकी सहायक और सहयोगी कंपनियों के ऐसे अन्य कार्मिक (कार्मिकों) इनमें दूसरे आधार पर शामिल कार्मिक हैं, जिन्हें समय-समय पर अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

नोट: यदि कोई पदनामित कार्मिक (कार्मिक), जैसा कि संहिता में परिभाषित है, अधिवर्षिता/त्यागपत्र/बर्खास्त (टर्मिनेशन) आदि के कारण कंपनी से अलग हो जाता है तो उसे कंपनी से अलग होने की तारीख के बाद और छह महीने की अवधि के लिए पदनामित कार्मिक माना जाएगा।

2.11 "निदेशक" से अभिप्राय कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य से है।

2.12 "कार्मिक" से अभिप्राय कंपनी के प्रत्येक कार्मिक से है, इसमें कंपनी में कार्यरत (नियोजित) निदेशक शामिल हैं

2.13 "वित्त संबंधी ज्ञान रखने वाले व्यक्ति" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसके पास मूलभूत वित्तीय विवरणियों अर्थात तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नगदी प्रवाह के विवरण को पढ़ने और समझने कि योग्यता हो।

2.14 "साधारणतः उपलब्ध जानकारी" से अभिप्राय उस जानकारी से है जिस तक जनता बिना किसी भेदभाव के पहुंच रखती हो।

2.15 "निकटतम संबंधी" से अभिप्राय किसी व्यक्ति के पति या की पत्नी से है, और जिसमें ऐसे व्यक्ति के अथवा उसके पति या उसकी पत्नी के माता-पिता, भाई या बहन, तथा संतान सम्मिलित हैं, जिनमें से कोई भी या तो ऐसे व्यक्ति पर वित्तीय रूप से आश्रित हो, या ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूतियों में व्यापार (ट्रेडिंग) संबंधी निर्णय लेने के संबंध में परामर्श करता हो।

2.16 "इनसाइडर" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो:

i) जो संबद्ध व्यक्ति हो;

ii) जिसके पास अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी हो या जो अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक पहुंच रखता हो;

2.17 "मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक" से अभिप्राय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) में यथापरिभाषित व्यक्ति से है।

2.18 "अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी का लीक होना" से अभिप्राय ऐसे कार्य/परिस्थिति (यों) से है जिसके द्वारा यूपीएसआई (अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी) इसके आधिकारिक प्रकाशन या घोषणा अथवा पब्लिक डोमेन में औपचारिक परिचालन से पहले उपलब्ध करा दी जाती है या उपलब्ध हो जाती है और इसमें इसके अतिरिक्त कोई भी तथाकथित प्रयास सम्मिलित होगा।

2.19 "विधिसम्मत प्रयोजन" में इनसाइडर द्वारा सामान्य कारोबार के दौरान सांविधिक/विनियामक प्राधिकारियों, ऋणदाताओं, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, मर्चेंट बैंकरों, कानूनी सलाहकारों, लेखापरीक्षकों, इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनलों या अन्य सलाहकारों अथवा परामर्शदाताओं के साथ यूपीएसआई को साझा करना सम्मिलित होगा, बशर्ते कि यूपीएसआई की ऐसी जानकारी इन विनियमों के प्रतिषेधों से बचने या रोकने के लिए साझा न की गई हो।

2.20 "महत्वपूर्ण (मैटीरियल) वित्तीय संबंध" से अभिप्राय ऐसे संबंध से होगा, जिसमें एक व्यक्ति किसी भी प्रकार के भुगतान का प्राप्तकर्ता हो, जैसे कि बारह महीने से पहले तुरंत ऋण या उपहार के रूप में, ऐसे भुगतानकर्ता की वार्षिक आय के कम से कम 25% के बराबर लेकिन उन संबंधों को शामिल नहीं करेगा जिनमें भुगतान हाथ की लंबाई के लेन-देन पर आधारित है।

2.21 "प्रोमोटर" का अर्थ वही होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 या उसके किसी संशोधन आदि के अंतर्गत उसके लिए नियत हो।

2.22 "प्रोमोटर ग्रुप" का अर्थ वही होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 या उसके किसी संशोधन आदि के अंतर्गत उसके लिए नियत हो।

2.23 "सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित" में असूचीबद्ध कंपनी की प्रतिभूतियां शामिल होंगी, यदि;

(i) ऐसी असूचीबद्ध कंपनी ने बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) या कंपनी रजिस्ट्रार के पास, सूचीबद्धता के संबंध में, यथास्थिति, प्रस्ताव दस्तावेज़ (ऑफर डोक्यूमेंट) या अन्य दस्तावेज़ शामिल किए हों, या;

(ii) ऐसी असूचीबद्ध कंपनी किसी विलय (मर्जर) या समामेलन (अमैल्गमेशन) के अनुसरण में सूचीबद्ध हो रही हो और उसने कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विलय या समामेलन की ऐसी स्कीम की प्रति दाखिल की हो;]

2.24 "विनियम" से अभिप्राय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 और उसमें किए गए संशोधन से होगा।

2.25 "प्रतिभूतियों" का अर्थ वही होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) या उसके किसी उपांतर के अधीन इसके लिए नियत हैं, और जिनमें म्यूचुअल फंड की यूनिटें सम्मिलित नहीं होंगी,

2.26 "सेबी" से अभिप्राय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से होगा।

2.27 "अधिग्रहण संबंधी विनियम" से अभिप्राय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 और उसके कोई संशोधन से है।

2.28 "ट्रेडिंग" से अभिप्राय है और उसमें सम्मिलित है – किन्हीं प्रतिभूतियों को सब्सक्राइब करना, को खरीदना, को बेचना, उनमें व्यवहार (डील) करना, या उनको सब्सक्राइब करने, उनको खरीदने, बेचने, उनमें व्यवहार (डील) करने के लिए सहमत होना, और ट्रेड का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

2.29 "ट्रेडिंग दिन" से अभिप्राय उस दिन से है जिस दिन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए खुले रहते हैं।

2.30 "अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी" से अभिप्राय कंपनी या उसकी प्रतिभूतियों से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, संबंधित कोई ऐसी जानकारी से है, जो साधारणतः उपलब्ध न हो जिसके साधारणतः उपलब्ध हो जाने पर प्रतिभूतियों की कीमत के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होने की संभावना हो सकती हो और जिसमें सामान्य रूप से निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होगी परंतु जो निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं होगी :-

(i) वित्तीय परिणाम;

(ii) लाभांश;

(iii) पूंजी संरचना में परिवर्तन;

(iv) विलयन (मर्जर), आविलयन (डी-मर्जर), अर्जन, असूचीबद्धताएं, निपटान (डिस्पोजल) तथा कारोबार और ऐसे अन्य लेन-देन;

(v) मुख्य प्रबधकीय कार्मिकों में परिवर्तन;

इन विनियमों में प्रयोग किए गए तथा अपरिभाषित किंतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) अधिनियम, 1996 (1996 का 22) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) और उनके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उन विधानों में क्रमशः उनके लिए नियत हों।

अध्याय – III

3.0 अनुप्रयोज्यता:

यह संहिता इसमें इनके पहले खंड 2.16 के अंतर्गत उल्लिखित सभी इनसाइडर्स पर लागू होगी।

अध्याय – IV

4.0 अनुपालन अधिकारी:

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नई दिल्ली

कंपनी सचिव इस संहिता के प्रयोजनों के लिए अनुपालन अधिकारी होगा। उसकी अनुपस्थिती में, कंपनी सचिवालय में इन विनियमों से संबंधित मामलों को देख रहे कंपनी सचिव से नीचे की रैंक वाला व्यक्ति अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। अनुपालन अधिकारी को इस संहिता के खंड संख्या 2.13 के अंतर्गत यथा परिभाषित वित्त संबंधी ज्ञान होना चाहिए।

अपनी ड्यूटियों का निर्वहन करने में, अनुपालन अधिकारी की कंपनी की प्रतिभूतियों, कार्मिकों और अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी से संबंधित जानकारी और दस्तावेजों तक पहुंच होगी। अपने कार्यों का कारगर तरीके से निर्वहन करने के लिए, अनुपालन अधिकारी को पर्याप्त शक्तियां, जनशक्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जाएगा ताकि वह प्रभावी तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन कर सके।

अनुपालन अधिकारी विनियमों और इस संहिता के अनुपालन और प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों के संबंध में सेबी के साथ व्यवहार के लिए केंद्र बिंदु (फोकल पॉइंट) के रूप में कार्य करेगा।

4.1 अनुपालन अधिकारी की ड्यूटियां:

4.1.1 अनुपालन अधिकारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:

- नीतियों, प्रक्रियाओं, रिकॉर्डों का रखरखाव, यूपीएसआई के संरक्षण के लिए नियमों के पालन की मॉनीटरिंग, व्यापार (ट्रेड्स) की मॉनीटरिंग और निदेशक मंडल के समग्र पर्यवेक्षण में इन विनियमों में निर्दिष्ट संहिताओं का कार्यान्वयन।
- संहिता के अनुपालन के बारे में निदेशक मंडल को रिपोर्ट करना।
- वित्तीय वर्ष के अंत में निम्नलिखित मामलों पर रिपोर्ट को लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत करना:
  - विंडो बंद होने की अवधि;
  - ट्रेडिंग आयोजना (प्लान);
  - पूर्व-क्लीयरेंस
  - इनसाइडर ट्रेडिंग विनियमों के निषेध के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करना और इस संबंध में आंतरिक नियंत्रण हेतु पर्याप्तता और प्रचालनगत दक्षता के लिए प्रणालियों का सत्यापन;
- पांच साल की अवधि के लिए इस संहिता के अंतर्गत किए गए प्रकटीकरणों के रिकॉर्ड का रखरखाव।

अध्याय – V

5.0 आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त और प्रभावी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण संबंधी तंत्र, इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:-

क. विधिसम्मत प्रयोजनों के अनुसरण में जानकारी साझा करना:

क. अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) केवल "जानने की आवश्यकता'' के आधार पर और केवल कंपनी के हित में और/या विधिक अपेक्षाओं के अनुपालन में ही साझा की जाएगी।

ख. विधिसम्मत प्रयोजन के अनुसरण में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) प्राप्त करने वाले व्यक्ति को संहिता के प्रयोजन के लिए 'इनसाइडर' माना जाएगा।

ग. अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) के इस प्रकार साझा करने में सामान्य कारोबार जैसे ड्यूटियों के निर्वहन, विधिक दायित्वों के निर्वहन आदि के दौरान भागीदारों, सहयोगियों (कोलबोरेटर), ऋणदाताओं, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, बैंकरों, मर्चेंट बैंकरों, कानूनी सलाहकारों, लेखापरीक्षकों, इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनलों या अन्य सलाहकारों अथवा परामर्शदाताओं आदि के साथ साझा करना सम्मिलित होगा, बशर्ते कि यूपीएसआई की ऐसी जानकारी सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम और पीएफ़सी की इनसाइडर ट्रेडिंग संहिता के निषेधों से बचने या रोकने के लिए साझा न की गई हो।

घ. इनसाइडर अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) को साझा करते समय सुनिश्चित करेगा कि ऐसी यूपीएसआई के संबंध में तृतीय पक्षकार (थर्ड पार्टी) भी इस संहिता से बाध्य है। यह यूपीएसआई को साझा करने वाले ऐसे इनसाइडर द्वारा या तो ईमेल के माध्यम से सम्यक नोटिस भेजकर/पत्र जारी करके/गोपनीयता बनाए रखने के लिए संविदात्मक करार में शामिल करके या गोपनीयता करार पर हस्ताक्षर करके सुनिश्चित किया जाएगा।

ख. पदनामित व्यक्ति द्वरा कंपनी के साथ साझा किए जाने वाले दस्तावेज़ :

पदनामित व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वे निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम तथा स्थायी खाता संख्या (पैन) या विधि के अनुसार प्राधिकृत किसी अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज़ की जानकारी, वार्षिक आधार पर तथा जब कभी भी इस जानकारी में परिवर्तन हो, प्रकट करे।

क. इस संहिता में यथा परिभाषित निकटतम संबंधी;

ख. वह व्यक्ति जिनके साथ ऐसे पदनामित व्यक्ति (यों) का महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध हो;

ग. उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे फोन, मोबाइल और सेल नंबर। इसके अतिरिक्त, उन शैक्षणिक संस्थानों के नाम जहां से पदनामित व्यक्तियों ने स्नातक (ग्रेजुएशन) किया है और उनके पिछले नियोक्ताओं के नाम भी एक बार प्रकट किए जाएंगे।

ग. चाइनीज़ वॉल का सृजन:

गोपनीय जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए, गोपनीय जानकारी तक पहुंच रखने वाली यूनिटों को "इनसाइड क्षेत्र (एरिया)" माना जाएगा और सहायक (सपोर्ट) सेवाएं प्रदान करने वाली यूनिटों को "सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक एरिया) माना जाएगा। इनसाइड क्षेत्र (एरिया) में कार्य करने वाले व्यक्ति किसी भी यूपीएसआई को सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को नहीं बताएंगे। अपवादिक परिस्थितियों में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यक्तियों को "ओवर दि वॉल" लाया जाएगा और अनुपालन अधिकारी को सूचित करते हुए "जानने की आवश्यकता" के आधार पर यूपीएसआई प्रदान की जाएगी।

घ. डिजिटल डाटाबेस: अनुपालन अधिकारी टाइम स्टैंपिंग और ऑडिट ट्रेल्स के साथ डिजिटल डाटाबेस बनाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डाटाबेस में कोई छेड़छाड़ न हो जिसमें ऐसे व्यक्तियों/एंटिटियों के नाम शामिल हों जिनके साथ इस विनियम के अंतर्गत जानकारी साझा की जाती हो और पैन या जहां पैन उपलब्ध न हो तो वहां विधि द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज़ की जानकारी शामिल की जाए।

ड़. यूपीएसआई को साझा करने वाला इनसाइडर उस/उन व्यक्ति (यों) को पूर्व नोटिस देगा जिसे संवेदनशील लेन-देन (लेन-देनों)/यूपीएसआई के संबंध में जानकारी दी जाती हो और जानकारी प्राप्त करने के लिए संलग्न ड्यूटियों और जिम्मेदारियों और मामला-दर-मामला आधार पर ऐसी जानकारी के दुरुपयोग या अनधिकृत उपयोग से संबंधित दायित्व के बारे में भी अवगत कराया जाता हो।

च. गैर-प्रकटीकरण करार को कंपनी के पदनामित व्यक्तियों की परिभाषा में कवर किए गए कार्मिकों के साथ निष्पादित किया जाएगा या यूपीएसआई की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उन्हें नोटिस दिया जाएगा।

छ. प्रलेखन: अनुपालन अधिकारी निम्नलिखित दस्तावेजों/रिकॉर्डों को इलेक्ट्रोनिक रूप से या अन्यथा उस अवधि के लिए रखेगा जैसा उपयुक्त समझा जाता हो/सांविधिक रूप से अपेक्षित हो।

(i) प्रारंभिक और सतत प्रकटीकरण का रजिस्टर;

(ii) पदनामित व्यक्तियों और उनमें परिवर्तन का रजिस्टर;

(iii) ट्रेडिंग विंडो बंद होने और खुलने की तारीख का रिकॉर्ड;

(iv) पूर्व-क्लीयरेंस के लिए किए गए आवेदन का रिकॉर्ड और उसके लिए दिए गए वचन;

(v) आपात स्थिति के दौरान धारिता अवधि में छूट देने (Waiving) के मामलों का रिकॉर्ड।

अध्याय – VI

6.0 इनसाइडर द्वारा संप्रेषण और व्यापार (ट्रेडिंग) पर प्रतिबंध

6.1 अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी का संप्रेषण (कम्यूनिकेशन) या उसकी प्राप्ति (प्रोक्योरमेंट)

6.1.1 कोई भी इनसाइडर किसी कंपनी अथवा सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों के संबंध में, किसी व्यक्ति इसमें अन्य इनसाइडर भी शामिल हैं, को कोई अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी संप्रेषित नहीं करेगा, उपलब्ध नहीं कराएगा या उस तक पहुंच रखने की अनुमति नहीं देगा, सिवाय वहां जहां ऐसा संप्रेषण विधिसम्मत प्रयोजनों, ड्यूटियों के पालन या विधिक बाध्यताओं के निर्वहन हेतु हो या अन्यथा इन विनियमों के अंतर्गत अनुमत हो।

6.1.2 कोई भी व्यक्ति, किसी कंपनी अथवा सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों के संबंध में, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी रखने वाले किसी इनसाइडर से कोई संप्रेषण प्राप्त नहीं करेगा अथवा उससे कुछ भी संप्रेषित नहीं करवाएगा, सिवाय वहां जहां ऐसा संप्रेषण विधिसम्मत प्रयोजनों, ड्यूटियों के पालन या विधि बाध्यताओं के निर्वहन हेतु हो।

6.1.3 समस्त जानकारी कंपनी के भीतर ही, जानने की आवश्यकता के आधार पर, हैंडल की जाएगी और कोई भी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी किसी व्यक्ति को संप्रेषित नहीं की जाएगी, सिवाय वहां जहां ऐसा संप्रेषण इनसाइडर के विधिसम्मत प्रयोजनों, ड्यूटियों के पालन या उसकी विधिक बाध्यताओं के निर्वहन हेतु हो।

6.1.4 'विधिसम्मत प्रायोजन' के निर्धारण की नीति इस संहिता (**अनुलग्नक क**) के भागस्वरूप संलग्न है।

जिस किसी भी व्यक्ति को विधिसम्मत प्रयोजन के अनुसरण में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी प्राप्त हुई हो तो उसे इन विनियमों के अंतर्गत इनसाइडर समझा जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को इन विनियमों का पालन करते हुए ऐसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में विधिवत सूचना दी जाएगी।

6.1.5 सभी इनसाइडर सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों/एंटिटियों नाम और स्थायी खाता संख्या या जहां स्थायी खाता संख्या उपलब्ध न हो वहां कानून/विधि के अनुसार प्राधिकृत किसी अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज़ सहित ऐसे व्यक्तियों/एंटिटियों के ब्योरे जिनके साथ यूपीएसआई साझा की जाती है, निर्धारित ढंग से तत्काल अनुपालन अधिकारी को प्रदान किए जाएं ताकि जिसमें सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग (इनसाइडर ट्रेडिंग) विनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डाटाबेस बनाया रखा जा सके।

6.1.6 इस विनियम में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी लेन-देन के संबंध में, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी संप्रेषित की जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी, उस तक पहुंच रखने की अनुमति दी जाएगी या प्राप्त की जाएगी;

(क) जिसके अनुसार अधिग्रहण संबंधी विनियमों के अधीन खुला प्रस्ताव (ओपन ऑफर) लाने की बाध्यता हो जाए, जहां कंपनी के निदेशक मंडल की सोच-समझकर यह राय बनी हो कि ऐसी जानकारी को साझा करना कंपनी के सर्वोत्तम हित में है; अथवा

(ख) जो अधिग्रहण (टेक ओवर) संबंधी विनियमों के अधीन खुला प्रस्ताव लाने की बाध्यता को आकृष्ट न करता हो, किंतु जहां कंपनी के निदेशक मंडल की सोच-समझकर यह राय बनी हो कि ऐसी जानकारी को साझा करना कंपनी के सर्वोत्तम हित में है और जो जानकारी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी की कोटि में आती हो, वह किए जाने वाले प्रस्तावित लेन-देन से ट्रेडिंग के कम से कम दो दिन (ट्रेडिंग डे) पहले जैसा सभी संगत और महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करने के लिए पर्याप्त और निष्पक्ष रूप से निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित रूप में प्रसारित की जाती है, ताकि वह साधारणतः उपलब्ध हो जाए।

तथापि, निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ अनुपालन अधिकारी पक्षकारों (पार्टियों) से यह अपेक्षा करेगा कि वे गोपनीयता और अप्रकटीकरण (नॉन-डिस्क्लोजर) बाध्यताओं के संबंध में करार निष्पादित करें और ऐसे पक्षकार इस प्रकार प्राप्त जानकारी को गोपनीय रखेंगे, इस संहिता के खंड 6.1.6 के सिवाय, और वे उस समय कंपनी की प्रतिभूतियों में अन्यथा व्यापार (ट्रेड) नहीं करेंगे जिस समय अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उनके पास (पजेशन में) में हो।

6.2 गोपनीय जानकारी तक सीमित पहुंच:

सभी व्यक्ति, जो गोपनीय जानकारी रखते हैं, वे जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखने में, और इसके गलत प्रसार को रोकने के लिए, अन्यों में से अपनाएंगे लेकिन निम्नलिखित सुरक्षा उपायों तक सीमित नहीं होंगे:

- जिन फाइलों में गोपनीय जानकारी दी गई है, उन्हें सुरक्षित रखना।
- कंप्यूटर में रखी गई फ़ाइलों की लॉग-इन और पासवर्ड द्वारा पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करना।

6.3 जानने की आवश्यकता:

सभी व्यक्ति, जो अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी रखते हैं, वे 'जानने की आवश्यकता' के आधार पर इसे कड़ाई से संभालकर रखेंगे। इसका मतलब है कि अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी कंपनी के भीतर केवल उन व्यक्तियों को बताई जाएगी जिन्हें अपने संबंधित पेशेवर कर्तव्यों (प्रोफेशनल ड्यूटी) के प्रदर्शन या निर्वहन के दौरान इस जानकारी की जरूरत होगी और इस अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी से किसी भी प्रकार से हितों के टकराव या सूचना के दुरुपयोग की संभावना उत्पन्न नहीं होगी।

6.4 उस समय व्यापार (ट्रेडिंग) जब अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी पास (पजेशन में) हो

कोई भी इनसाइडर, जब अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उसके पास हो, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध अथवा सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित उन प्रतिभूतियों में उस समय व्यापार नहीं करेगा जब तक कि इस तरह ट्रेड खंड 7.1 के अनुसार निर्धारित ट्रेडिंग योजना के अनुरूप हों या अन्यथा विनियमों के अंतर्गत अनुमति दी गई हो।

यदि किसी व्यक्ति ने प्रतिभूतियों में व्यापार (ट्रेड) किया है जब उसके पास अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी हो, तो उसके व्यापार के बारे में यह मान लिया जाएगा कि उसने ऐसी जानकारी से प्रेरित होकर व्यापार (ट्रेड) किया था।

परंतु यह कि, इनसाइडर निम्नलिखित परिस्थितियों को दर्शाकर अपनी बेगुनाही/निर्दोषिता साबित कर सकता है, जिनमें शामिल हैं:-

i) लेन-देन उन इनसाइडर, जिनके पास वही अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी थी, के बीच बाज़ार से परे (ऑफ-मार्केट) परस्पर अंतरण विनियम 3 का उल्लंघन किए बिना हुआ और दोनों पक्षकारों ने व्यापार (ट्रेड) संबंधी निर्णय पूरी तरह सोच-समझकर लिया था;

परंतु यह कि ऐसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी इस संहिता के खंड 6.1.6 के अंतर्गत प्राप्त नहीं की गई हो।

परंतु यह भी कि ऐसे बाजार से परे (ऑफ-मार्केट) व्यापार को संबंधित निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा 02 कार्य दिवसों के भीतर कंपनी को सूचित किया जाएगा।

अनुपालन अधिकारी द्वारा ऐसे व्यापार (ट्रेड) के विवरण ऐसे प्रकटीकरण के प्राप्त होने या ऐसी जानकारी से अवगत होने के 02 कार्यदिवसों के भीतर उन स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा, जहां प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं।

ii) लेन-देन ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज़्म के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों के बीच हुआ जिन्होंने विनियम 3 का उल्लंघन न किया हो, जिनके पास अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी थी और दोनों पक्षकारों ने व्यापार (ट्रेड) का निर्णय सचेत होकर तथा सोच-समझकर लिया था;

परंतु यह कि, ऐसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी किसी भी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के खंड 6.1.6 के अंतर्गत प्राप्त नहीं की गई थी।

iii) विचाराधीन/संबंधित लेन-देन सद्भावपूर्वक रूप से ऐसा लेन-देन करने की विधिक/कानूनी या विनियामक बाध्यता के अनुसरण में किया गया था।

iv) विचाराधीन/संबंधित लेन-देन ऐसे स्टॉक विकल्पों (ऑप्शन) के प्रयोग के अनुसरण में किया गया था, जिसके संबंध में प्रयोग कीमत लागू विनियमों का पालन करते हुए पहले से निर्धारित की गई थी।

v) गैर-व्यक्तिगत (non-individual) इनसाइडर के मामले में: -

(क) ऐसे व्यक्ति जिनके पास ऐसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी थी, वे व्यापार संबंधी निर्णय लेने वाले व्यक्तियों से भिन्न थे और ऐसे निर्णय लेने वाले ऐसे व्यक्तियों के पास उस समय ऐसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी नहीं थी जब उन्होंने व्यापार करने का निर्णय लिया था; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित और पर्याप्त व्यवस्था की गई कि इन विनियमों का उल्लंघन न हो और जिन व्यक्तियों के पास जानकारी थी, उन व्यक्तियों द्वारा कोई भी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी व्यापार (ट्रेडिंग) संबंधी निर्णय लेने वाले व्यक्तियों को सूचित नहीं की गई थी और ऐसी व्यवस्थाओं को भंग किए जाने का कोई भी साक्ष्य नहीं है;

vi) व्यापार इस संहिता के खंड 7.1 के अनुसार निर्धारित व्यापार योजना (ट्रेडिंग प्लान) के अनुसरण में किए गए थे।

6.5 संबद्ध व्यक्तियों के मामले में यह सिद्ध करने का दायित्व कि अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उनके पास नहीं थी, ऐसे संबद्ध व्यक्तियों पर होगा और अन्य मामलों में यह दायित्व सेबी पर होगा।

6.6 सेबी, समय-समय पर, ऐसे मानक और अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जैसा यह इन विनियमों के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे।

अध्याय – VII

7.1 ट्रेडिंग योजना

7.1.1 इनसाइडर ट्रेडिंग योजना तैयार करने का हकदार होगा और वह उसे अनुमोदन और सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए अनुपालन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसके अनुसरण में व्यापार (ट्रेड) उसकी ओर से ऐसी योजना के अनुसार किए जा सकेंगे।

7.1.2 ऐसी ट्रेडिंग योजना के अंतर्गतः-

i) योजना के सार्वजनिक प्रकटीकरण से छह महीने पहले तक इनसाइडर की ओर से व्यापार (ट्रेडिंग) शुरू नहीं किया जाएगा;

ii) किसी वित्तीय अवधि, जिसके लिए परिणामों की घोषणा प्रतिभूतियों के निर्गमकर्ता द्वारा की जानी अपेक्षित हो, के अंतिम दिन से पूर्व के व्यापार के बीसवें दिन और ऐसे वित्तीय परिणामों के प्रकटीकरण के पश्चात व्यापार के दूसरे दिन के बीच की अवधि के दौरान व्यापार नहीं किया जाएगा;

iii) कम से कम बारह माह की अवधि के लिए ट्रेडिंग करना;

iv) व्यापार ऐसी अवधि के लिए नहीं होगा जिसके दौरान दूसरी व्यापार योजना पहले से ही मौजूद हो;;

v) या तो किए जाने वाले व्यापारों (ट्रेड) के मूल्य का या फिर जिन प्रतिभूतियों का व्यापार किया जाना हो तो उन प्रतिभूतियों की संख्या का, व्यापार के स्वरूप के साथ-साथ, और उन अंतरालों, या उन तारीखों का उल्लेख होगा, जब ऐसे व्यापार किए जाएंगे; और

vi) बाजार के दुरुपयोग के लिए प्रतिभूतियों में व्यापार (ट्रेड) नहीं किया जाएगा।

7.1.3 अनुपालन अधिकारी यह निर्धारित करने के लिए ट्रेडिंग योजना की समीक्षा करेगा कि क्या इस योजना में इन विनियमों के अतिक्रमण की कोई संभावना हो सकती है और वह ऐसे स्पष्ट वचनों की मांग करने का हकदार होगा जो ऐसे निर्धारण को समर्थ बनाने एवं योजना के अनुमोदन तथा उसके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करने के लिए आवश्यक हो।

परंतु यह कि अनुमोदित व्यापार योजना के अनुसार निष्पादित व्यापार के लिए ट्रेड्स की पूर्व-क्लीयरेंस अपेक्षित नहीं होगी।

परंतु यह भी कि ट्रेडिंग विंडो नियम और कॉन्ट्रा-ट्रेड पर प्रतिबंध अनुमोदित व्यापार योजना के अनुसार किए गए ट्रेडों के लिए लागू नहीं होंगे।

7.1.4 एक बार अनुमोदित हो जाने के पश्चात ट्रेडिंग योजना अप्रतिसंहरणीय होगी और इनसाइडर को इससे विचलित हुए बिना और ट्रेडिंग योजना के दायरे से बाहर प्रतिभूतियों में कोई ट्रेड किए बिना अनिवार्यतः इस योजना का कार्यान्वयन करना होगा।

परंतु यह कि ट्रेडिंग योजना का कार्यान्वयन शुरु नहीं किया जाएगा यदि कोई अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी, जो योजना बनाने के समय इनसाइडर के पास हो, कार्यान्वयन के प्रारंभ के समय साधारणतः उपलब्ध न हुई हो और ऐसी स्थिति में अनुपालन अधिकारी यह पुष्टि करेगा कि प्रारंभ को ऐसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के साधारणतः उपलब्ध जानकारी बन जाने तक आस्थगित कर दिया जाए जिससे कि इस संहिता के खंड 6.1 के अतिक्रमण से बचा जा सके।

7.1.5 ट्रेडिंग योजना का अनुमोदन हो जाने पर, अनुपालन अधिकारी योजना को उन स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित करेगा जिन एक्सचेंजों में प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नई दिल्ली

अध्याय- VIII

8.0 ट्रेडिंग विंडो :

8.0.1 अनुपालन अधिकारी व्यापार (ट्रेडिंग) अवधि निर्दिष्ट करेगा, जिसे प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) में व्यापार करने के लिए "ट्रेडिंग विंडो" कहा जाएगा। अनुपालन अधिकारी कंपनी की वेबसाइट पर और/या कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में नोटिस बोर्ड पर ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की सूचना देगा, जब भी अनुपालन अधिकारी को यह निश्चय हो जाए कि ऐसी प्रत्याशा है कि पदनामित व्यक्ति या पदनामित व्यक्तियों के वर्ग के पास अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी है। इस प्रकार ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में ट्रेडिंग विंडो बंद कराई जाएगी, जिनसे ऐसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी संबंध रखती हो। यह पदनामित व्यक्ति (यों) कि ड्यूटी होगी कि वे उनके पास में किसी भी यूपीएसआई के बारे में अनुपालन अधिकारी को तुरंत सूचित करें।

8.0.2 वित्तीय परिणामों के लिए, ट्रेड पर प्रतिबंध की अवधि को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से वित्तीय परिणामों की घोषणा होने के बाद 48 घंटों तक लागू किया जा सकता है।

8.0.3 ट्रेडिंग विंडो के पुनः खुलने का समय अनुपालन अधिकारी द्वारा विभिन्न कारकों पर विचार करके तय किया जाएगा, जिनमें सम्मिलित हैं –अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी का साधारणतः उपलब्ध जानकारी बन जाना और बाजार द्वारा समावेश के लायक बनना, जो किसी भी स्थिति में जानकारी के साधारणतः उपलब्ध जानकारी बन जाने के पश्चात अड़तालीस (48) घंटों से पहले नहीं होगा।

8.0.4 ट्रेडिंग विंडो के बंद होने पर पदनामित व्यक्ति और उनके निकटतम संबंधियों द्वारा प्रतिभूतियों में ट्रेड नहीं किया जाएगा।

8.0.5 वर्ष में उन दिनों के अतिरिक्त, जब उपर्युक्त व्यापार प्रतिबंध लागू होते हैं, तो शेष दिनों को वैध ट्रेडिंग विंडो कहा जाएगा।

पदनामित व्यक्ति और उनके निकटतम संबंधी द्वारा प्रतिभूतियों में उनके सभी व्यवहार (डीलिंग) या तो उनके स्वयं के नाम पर या उनके निकटतम संबंधियों के नाम पर केवल वैध ट्रेडिंग विंडो में किए जाएंगे और कोई भी लेन-देन (Transaction) जिसमें प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री सम्मिलित है उस समय नहीं किया जाएगा जब ट्रेडिंग विंडो बंद हो।

8.0.6 अनुपालन अधिकारी बंद (क्लोज्ड) ट्रेडिंग विंडो की अवधि का रजिस्टर बनाएगा, जिसमें वह ट्रेडिंग विंडो के बंद होने और खोलने की तारीखें और ट्रेडिंग विंडो बंद करने के प्रयोजन दर्ज करेगा। ट्रेडिंग विंडो बंद करने की अवधि के रजिस्टर का प्रोफॉर्मा **फॉर्म I** में दिया गया है।

8.0.7 कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ऑप्शन) स्कीम (ईएसओपी) के मामले में, ट्रेडिंग विंडो बंद होने की अवधि में विकल्प के प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है। परंतु, जब ट्रेडिंग विंडो बंद हो तो, ईएसओपी के प्रयोग में आबंटित शेयरों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी

अध्याय – IX

9.0 प्रतिभूतियों में व्यवहारों (डीलिंग्स) की पूर्व-क्लीयरेंस

9.1 अनुप्रयोज्यता:

पदनामित व्यक्ति और उनके निकटतम संबंधी, जो ट्रेडिंग विंडो खुलने के समय कंपनी की प्रतिभूतियों में या तो अपने नाम से या फिर अपने निकटतम संबंधियों के नाम पर व्यवहार (डील) करना चाहते हैं, तो उस समय व्यापार (ट्रेडिंग) अनुपालन अधिकारी की पूर्व-क्लीयरेंस के अध्यधीन होगा, यदि सात ट्रेडिंग दिनों में प्रस्तावित ट्रेडों का मूल्य एक (सिंगल) लेन-देन में व्यापार किए जाने वाले 10,000 इक्विटी शेयरों से या लेन-देन की शृंखला में व्यापार किए जाने वाले 30,000 इक्विटी शेयरों से अधिक हो। परंतु कोई पदनामित व्यक्ति किसी प्रस्तावित व्यापार (ट्रेड) की पूर्व- क्लीयरेंस के लिए आवेदन नहीं करेगा यदि ऐसे पदनामित व्यक्ति के पास अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी हो फिर भले ही ट्रेडिंग विंडो बंद न हुई हो।

9.2 पूर्व-क्लीयरेंस के लिए आवेदन केवल वैध ट्रेडिंग विंडो अवधि के दौरान किया जाएगा। ट्रेडिंग विंडो बंद होने की अवधि के दौरान प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र अमान्य होंगे और इन्हें स्वतः ही अस्वीकृत हुआ माना जाएगा।

9.3 (i) पूर्व-क्लीयरेंस प्रक्रिया:

पदनामित व्यक्ति और उनके निकटतम संबंधी, अनुपालन अधिकारी को पूर्व-क्लीयरेंस आवेदन देंगे। आवेदन में प्रतिभूतियों की अनुमानित संख्या इंगित की जाएगी, जिनमें पदनामित व्यक्ति व्यवहार (डील) करना चाहता है, जिसके साथ उसका प्रतिभूति (सिक्योरिटी) खाता है, इस तरह के डिपॉजिटरी मोड में सिक्योरिटी के रूप में विवरण और इस तरह के अन्य विवरण, इस संबंध में समय-समय पर अनुपालन अधिकारी द्वारा आवश्यक हो सकता है।

पदनामित व्यक्तियों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित खंडों, जैसा भी लागू हो, को सम्मिलित करते हुए कंपनी के पक्ष में वचनबंध दिया जाएगा:

(क) यह कि वचनबंध पर हस्ताक्षर करते समय उसकी "अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी" तक कोई पहुँच नहीं है या उसे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है;

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नई दिल्ली

(ख) यह कि यदि वह वचनबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद "अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी" तक पहुँच रखता है या फिर अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी" प्राप्त करता है, लेकिन लेन-देन के निष्पादन से पहले वह अपने पद (पोजीशन) में किसी भी परिवर्तन के बारे में अनुपालन अधिकारी को सूचित करेगा/करेगी और वह पूरी तरह से कंपनी की प्रतिभूतियों में उस समय तक लेन-देन करने से पूरी तरह से बचा रहेगी/बची रहेगी जब तक कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक नहीं हो जाती।

(ग) यह कि उसने अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण हेतु पद्धति और प्रक्रिया संहिता और कंपनी द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित पदनामित व्यक्तियों द्वारा व्यापार (ट्रेड) का विनियमन करने, उसकी मॉनीटरिंग करने और उस पर रिपोर्ट देने हेतु आचार संहिता;

(घ) यह कि वह अधिग्रहण की तारीख से छह महीने की न्यूनतम अवधि के लिए प्रतिभूतियों में अपना निवेश करता रहेगा/करती रहेगी;

या

यह कि उसने बेची गई प्रतिभूतियों के संबंध में अधिग्रहण की तारीख से 6 महीने की न्यूनतम धारण (होल्डिंग) अवधि की अपेक्षा का अनुपालन किया है;

(ङ) वह लेन-देन के निष्पादन के दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का या लेन-देन नहीं किया जाता है तो इसकी शून्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने का वचन देता/देती है;

(च) यह कि वह जानता है/जानती है कि यदि उपर्युक्त घोषणाएं किसी भी समय भ्रामक या गलत पाई जाती हैं तो संहिता के अंतर्गत उसे दंड दिया जा सकता है जिसमें अनुशासनिक कार्रवाई, वेतन रोक देना, निलंबन आदि शामिल हैं।

(छ) यह कि यदि ट्रेडिंग विंडो को बाद में बंद घोषित किया जाता है तो वह स्वीकृत ट्रेडिंग अवधि में प्रतिभूतियों में लेन-देन नहीं करने का वचन देता है/देती है;

(ज) यह कि उसने इस मामले में पूरा और सही प्रकटीकरण किया है।

आवेदन-सह-वचनबंध हेतु संयुक्त प्रोफॉर्मा इस संहिता के **फॉर्म-II** के रूप में संलग्न है

सभी पदनामित व्यक्ति और उनके निकटतम संबंधी समय-समय पर अनुपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए दस्तावेजों को निष्पादित करेंगे। व्यवहार-पूर्व (प्री-डीलिंग) अनुमोदन के लिए ऐसे आवेदन को संलग्नकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से अनिवार्यतः भेजा जाएगा उसके बाद सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी भेजी जाएगी। इस प्रयोजन हेतु ई-मेल mb@pfcindia.com पर या अनुपालन अधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ऐसी अन्य ई-मेल आईडी पर भेजी जाएगी।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नई दिल्ली

9.3 (ii) प्रतिभूतियों में व्यवहार (डीलिंग) करने के लिए पूर्व-क्लीयरेंस हेतु अनुमोदन:

(क) पूर्व-क्लीयरेंस आवेदन प्राप्त होने के तुरंत बाद, अनुपालन अधिकारी द्वारा उसके प्राप्त होने की तारीख और समय दर्ज किया जाएगा। अनुपालन अधिकारी पूर्व-क्लीयरेंस आवेदनों को प्रोसेस करेगा और यदि पूर्व-क्लीयरेंस आवेदन इस संहिता के प्रावधानों के अनुसरण और अनुपालन में हैं तो अनुपालन अधिकारी तत्काल पूर्व-क्लीयरेंस को संप्रेषित करने का प्रयास करेगा। अनुपालन अधिकारी द्वारा प्रतिभूतियों में व्यवहार (डीलिंग) करने से पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की मंजूरी (क्लीयरेंस) की आवश्यकता होगी।

(ख) प्रत्येक अनुमोदन पत्र **फॉर्म-III** में जारी किया जाएगा। प्रत्येक अनुमोदन दिनांकित किया जाएगा और अनुमोदन की तारीख से सात कार्यदिवस की अवधि के लिए मान्य होगा, जिस अवधि के भीतर पूर्व-क्लीयर किए गए व्यापार (ट्रेड्स) को पदनामित व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाना है, ऐसा न होने पर व्यापार (ट्रेड) के लिए नए सिरे से पूर्व-क्लीयरेंस निष्पादित किए जाने की जरूरत होगी। परंतु, यदि व्यापार (ट्रेड) की सुरक्षा के लिए पूर्व-अनुमोदन के पश्चात ट्रेडिंग विंडो बंद हो जाती है तो दी गई पूर्व-अनुमोदन को स्वतः ही वापस ले लिया जाना माना जाएगा यदि ट्रेडिंग विंडो के बंद होने से ऐसी अवधि समाप्त हो जाती है।

9.4 पूर्व-क्लीयर किए गए व्यवहार (डीलिंग) का पूरा होना:

(क) पदनामित व्यक्ति या उनके निकटतम संबंधी जो अपने स्वयं के नाम पर या अपने निकटतम संबंधियों के नाम पर प्रतिभूतियों में लेनदेन करना चाहते हैं, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अनुमोदन की तारीख से सात ट्रेडिंग दिनों के भीतर ऊपर निर्धारित प्रतिभूतियों में पूर्व-क्लीयर किए गए प्रत्येक व्यवहार (डील) का निष्पादन पूरा करें। पदनामित कार्मिक द्वारा लेन-देन के निष्पादन के दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर, ऐसे लेन-देन के ब्योरे निर्धारित प्रपत्र में अनुपालन अधिकारी के पास दर्ज किए जाएंगे। लेन-देन के निष्पादन करने के मामले में या लेन-देन के निष्पादन न करने के मामले में, इस आशय की रिपोर्ट अनुपालन अधिकारी के पास दर्ज की जाएगी **(फॉर्म IV)।**

(ख) यदि पदनामित व्यक्ति द्वारा सात ट्रेडिंग दिनों के भीतर अनुपालन अधिकारी द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार किसी लेन-देन को निष्पादित नहीं किया जाता है, जिसके भीतर पूर्व-क्लीयर किए गए व्यापार (ट्रेड्स) पदनामित व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए जाने चाहिए थे, तो निष्पादित किए जाने वाले व्यापार (ट्रेड्स) के लिए नए सिरे से पूर्व-क्लीयरेंस की आवश्यकता होगी।

9.5 अनुपालन अधिकारी प्रतिभूतियों के व्यापार (ट्रेडिंग) की पूर्व-क्लीयरेंस का रजिस्टर बनाएगा और इस रजिस्टर में आवेदन प्रस्तुत करने वाले पदनामित व्यक्ति का नाम एवं पदनाम, आवेदन की तारीख, आवेदन प्राप्ति की तारीख और समय, लेन-देन की प्रकृति, प्रतिभूतियों की संख्या, प्रतिफल मूल्य (कंसिडरेशन वैल्यू), निकटतम संबंधियों के नाम, यदि लेन-देन निकटतम संबंधियों के नाम से हुआ है और वास्तविक लेन-देन की तारीख और ब्योरे दर्ज करेगा। रजिस्टर का प्रोफॉर्मा **फॉर्म-V** में दिया गया है।

अध्याय - X

10. धारिता (होल्डिंग) अवधि:

(क) पदनामित व्यक्ति व्यापार (ट्रेड) की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर कॉन्ट्रा व्यापार (ट्रेड) निष्पादित नहीं करेगा। अनुपालन अधिकारी को अधिकार है कि वह, ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में दर्ज जाएंगे, ऐसे प्रतिबंध के कड़ाई से लागू करने के संबंध में ढील (रिलैक्स) दे सकेगा बशर्ते कि इस प्रकार ढील दिए जाने से इस संहिता का उल्लंघन न हो। अगर कॉन्ट्रा ट्रेड, चाहे अनजाने में या अन्यथा, ऐसे प्रतिबंध का उल्लंघन करके किया जाए, तो ऐसे व्यापार (ट्रेड) से होने वाले लाभ बोर्ड को प्रत्यर्पित किए (लौटाए) जाने के दायी होंगे, ताकि उन्हें निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि, जिसका संचालन अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा किया जाता है, में जमा किया जा सके।

परंतु यह कि यह स्टॉक विकल्पों का प्रयोग करने के अनुसरण में किए जाने वाले व्यापारों (ट्रेड्स) के लिए लागू नहीं होगा।

(ख) अनुपालन अधिकारी द्वारा "कॉन्ट्रा ट्रेड पर प्रतिबंध की छूट" का रजिस्टर भी बनाया जाएगा और उसमें प्रतिभूतियों के पदनामित व्यक्ति (यों), प्रतिभूतियां, जिनके लिए छूट दी गई है, छूट की तारीख और छूट के आधार दर्ज करेगा। रजिस्टर का प्रोफॉर्मा **फॉर्म VI** में दिया गया है।

अध्याय – XI

11.0 इनसाइडर द्वारा व्यापार (ट्रेडिंग) का प्रकटीकरण

11.1 <u>प्रारंभिक प्रकटीकरण:</u>

कंपनी का प्रत्येक प्रोमोटर, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और निदेशक इन विनियमों के प्रभावी होने की तारीख को कंपनी की प्रतिभूतियों की अपनी धारिता (होल्डिंग) और कंपनी के व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव्स) में व्यापार (ट्रेडिंग) को, इन विनियमों के प्रभावी होने के तीस दिनों के भीतर **फॉर्म-क** में कंपनी को प्रकट करेंगे

कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या निदेशक के रूप में नियुक्त होने पर अथवा प्रोमोटर बनने पर प्रत्येक व्यक्ति नियुक्ति अथवा प्रोमोटर बनने की तारीख को कंपनी की प्रतिभूतियों की अपनी धारिता

(होल्डिंग) और कंपनी की प्रतिभूतियों के व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव्स) में व्यापार को, ऐसी नियुक्ति अथवा इस प्रकार प्रोमोटर बनने के सात दिनों के भीतर **फॉर्म-ख** में कंपनी को प्रकट करेंगे।

11.2 सतत प्रकटीकरण:

(क) कंपनी का प्रत्येक प्रोमोटर, पदनामित व्यक्ति और निदेशक **फॉर्म-ग** में कंपनी को ऐसी प्रतिभूतियों (जिनका अर्जन या निपटान किया गया) की संख्या ऐसे लेन-देन से व्यापार के दो दिनों के भीतर प्रकट करेगा यदि व्यापार की गई (ट्रेडिड) प्रतिभूतियों के मूल्य, किसी कैलेंडर तिमाही के दौरान चाहे एक लेन-देन में या अनेक लेन-देनों में, का योग ऐसा व्यापार किया गया मूल्य (ट्रेडिड) हो जो दस लाख रुपए या ऐसे अन्य मूल्य जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, से अधिक हो,

(ख) कंपनी खंड 11.2 (क) के अंतर्गत ऐसे व्यापार (ट्रेड्स) के ब्योरे, ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की प्राप्ति के या ऐसी जानकारी से अवगत होने से व्यापार के दो दिनों (ट्रेडिंग डे) के भीतर, उस स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करेगी जहां प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हों।

स्पष्टीकरण – शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के अंतर्गत किसी प्रकटीकरण के पश्चात और होने वाले लेन-देनों का प्रकटीकरण किया जाएगा, जब पूर्व प्रकटीकरण के बाद किए गए लेन-देन खंड 11.2 में निर्दिष्ट सीमा-रेखा (थ्रेसहोल्ड) पार कर जाए।

11.3 अन्य संबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रकटीकरण:

पीएफसी अपने विवेकानुसार किसी अन्य संबद्ध व्यक्ति या संबद्ध व्यक्तियों के वर्ग से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह पीएफसी की प्रतिभूतियों में धारिताओं (होल्डिंग्स) तथा व्यापार (ट्रेडिंग) के प्रकटीकरण निर्धारित **फॉर्म-घ** में और ऐसे अंतराल पर करे, जैसा इन विनियमों के अनुपालन की मॉनीटरिंग के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाए।

11.4 पदनामित व्यक्ति द्वारा वार्षिक प्रकटीकरण

पदनामित व्यक्तियों से यह अपेक्षित है कि वे अपने निकटतम संबंधियों एवं व्यक्तियों, जिनके साथ वे महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध साझा करते हैं, की जानकारी वार्षिक आधार पर तथा जब कभी भी इस जानकारी में परिवर्तन हो, फॉर्म संख्या VII में प्रकट करें।

11.5 अनुपालन अधिकारी पाँच वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए उपर्युक्त उप-खंडों 11.1, 11.2, 11.3 एवं 11.4 के अंतर्गत प्राप्त सभी घोषणाओं अर्थात प्रारंभिक प्रकटीकरण, सतत प्रकटीकरण और अन्य संबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रकटीकरण का रिकॉर्ड रखेगा। बनाए जाने वाले रजिस्टर का प्रोफॉर्मा **फॉर्म-VIII** में दिया गया है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नई दिल्ली

अध्याय – XII

12.0 व्हिसल ब्लोअर नीति और यूपीएसआई के लीक होने या संदिग्ध लीक होने के मामले में जांच हेतु नीति एवं प्रक्रिया

अप्रकाशित संवेदनशील कीमत जानकारी (यूपीएसआई) के लीक होने या अप्रकाशित संवेदनशील कीमत जानकारी (यूपीएसआई) के लीक होने के संदेह होने के मामले की शिकायत मिलने पर, कंपनी की व्हिसल ब्लोअर और फ्रॉड प्रिवेंशन पॉलिसी (प्रति कंपनी की वेब-साइट पर उपलब्ध है) के अनुसार इस मामले से निपटा जाएगा।

अध्याय - XIII

13.0 उल्लंघन हेतु शास्ति (पेनल्टी) :

13.1 इस संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए पदनामित व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे (इस सीमा तक कि इसके प्रावधान उसके निकटतम संबंधियों के लिए लागू होते हैं)।

13.2 वे कार्मिक जो इस संहिता का उल्लंघन करते हैं, उन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा कंपनी की कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमावली (सीडीए नियमावली) में यथा परिभाषित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और ऐसे कार्मिकों पर सीडीए नियमावली के अंतर्गत यथा निर्धारित यथोचित शास्ति लगाई जाएगी, इसमें वेतन रोक दिया जाना, निलंबन आदि शामिल है।

13.3 यदि निदेशक मंडल द्वारा यह देखा जाता है कि इस संहिता का उल्लंघन किया गया है, इसकी सूचना तुरंत सेबी को दी जाएगी।

13.4 इस संहिता के उल्लंघन के मामले में, कंपनी द्वारा की गई अनुशासनिक कार्रवाई सेबी और अन्य अधिकारियों को सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के उल्लंघन के मामले में कोई कार्रवाई करने से रोक नहीं पाएगी। यदि सेबी विनियम या कोई सांविधिक प्रावधान संहिता में दिए गए प्रावधानों से अधिक सख्त हैं, तो सेबी विनियम/सांविधिक प्रावधान लागू होंगे।

अध्याय - XIV

14 अनुपालन अधिकारी के ब्योरे:

यदि संहिता के संबंध में कोई स्पष्टीकरण हो तो नीचे दिए गए पते पर अनुपालन अधिकारी को भेजा जा सकता है :

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नई दिल्ली

कंपनी सचिव
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
"ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001
ईमेल- mb@pfcindia.com

अध्याय - XV

15 अस्वीकारोक्ति (डिस्क्लेमर)

ऊपर उल्लिखित इनसाइडर ट्रेडिंग संहिता, पीएफसी की प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध हेतु रूपरेखा (फ्रेमवर्क) है। हालांकि, प्रत्येक इनसाइडर की जिम्मेदारी है कि वह इस संहिता, समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 को और अन्य लागू नियमों से अवगत करवाए और इनका अनुपालन सुनिश्चित करे।

****

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नई दिल्ली

अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण हेतु पद्धति और प्रक्रिया संहिता

(सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम – 2015 के विनियम 8(1) के अनुसार)

प्रत्येक सिद्धांत के पालन के लिए अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण हेतु पद्धति और प्रक्रिया संहिता नीचे दी गई है:

1. विश्वसनीय और ठोस जानकारी के आते ही अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तथा जो कीमत-निर्धारण को प्रभावित कर सकती हो, का तुरंत सार्वजनिक प्रकटीकरण, ताकि ऐसी जानकारी साधारणतः उपलब्ध हो सके।

2. अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी का एकसमान और व्यापक प्रसार ताकि चुनिंदा प्रकटीकरण से बचा जा सके।

3. जानकारी के प्रसार और अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण हेतु कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट करना।

4. जिस अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी का अनजाने में या अन्यथा चुनिंदा प्रकटीकरण किया गया हो, उस अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी का तुरंत प्रसार करना ताकि ऐसी जानकारी साधारणतः उपलब्ध हो।

5. समाचार रिपोर्टों पर आधारित प्रश्नों आदि और विनियामक प्राधिकरणों द्वारा बाजार की अफवाहों के सत्यापन के अनुरोधों के प्रति उपयुक्त एवं निष्पक्ष प्रतिक्रिया।

6. यह सुनिश्चित करना कि विश्लेषकों और अनुसंधान कार्मिकों के साथ साझा की जाने वाली जानकारी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी न हो।

7. विश्लेषकों के साथ बैठकों और अन्य निवेश संपर्क संबंधी सम्मेलनों की कार्यवाहियों की ट्रांसक्रिप्ट्स या उनका रिकॉर्ड अधिकृत वेबसाइट अर्थात अर्थात www.pfcindia.com पर उपलब्ध कराने हेतु सर्वोत्तम पद्धतियां विकसित करना ताकि आधिकारिक पुष्टि और किए गए प्रकटीकरणों का प्रलेखन (डॉक्यूमेंटेशन) सुनिश्चित हो सके।

8. जानने की आवश्यकता के आधार पर समस्त अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी का प्रबंधन (हैंडलिंग)।

******

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नई दिल्ली

फॉर्म-I

(*संहिता के खंड 8.0.6 के अनुसरण में*)

ट्रेडिंग विंडो बंद होने की अवधि का रजिस्टर

क्र. सं.	ट्रेडिंग विंडो बंद होने का प्रयोजन	ट्रेडिंग विंडो बंद होने की पहली तारीख	ट्रेडिंग विंडो बंद होने संबंधी अधिसूचना की तारीख, यदि कोई हो	ट्रेडिंग विंडो खुलने की तारीख	ट्रेडिंग विंडो खुलने संबंधी अधिसूचना की तारीख	अभ्युक्ति	आद्याक्षर

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नई दिल्ली

फॉर्म– II

(संहिता के खंड 9.3 (i) के अनुसरण में)

प्रतिभूतियों में ट्रेड की पूर्व-क्लीयरेंस के लिए आवेदन

सेवा में,

अनुपालन अधिकारी
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
"**ऊर्जानिधि**", 1, **बाराखंबा लेन**
कनॉट प्लेस, **नई दिल्ली**-110 001.

महोदय,

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 तथा अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता और इनसाइडर द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग हेतु आचार संहिता के अनुसरण में, मैं नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रतिभूतियों (ब्यौरा दें) का लेन-देन करने के लिए अनुमोदन चाहता/चाहती हूँ:-

नाम, पदनाम एवं कार्मिक सं. :

यूनिट :

पदनामित कार्मिक/व्यक्ति बनने की तारीख :

क्र. सं.	व्यक्ति का नाम	संबंध की प्रकृति	पैन	आवेदन की तारीख तक धारित प्रतिभूतियों की संख्या	फोलियो सं. / डीपी आईडी एवं ग्राहक (क्लाइंट) आईडी	लेन-देन की प्रकृति (खरीद/ बिक्री)	बिक्री की जाने वाली प्रतिभूतियों की अनुमानित संख्या	अनुमानित प्रतिफल मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9

वचनबंध

इस संबंध में, मैं/हम पूर्णतः पुष्टि करता/करती हूँ/करते हैं और घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं:

(क) कि मेरी/हमारी वचनबंध पर हस्ताक्षर करने के समय तक "अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी" तक कोई पहुँच नहीं है अथवा मुझे/हमें यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) कि यदि मुझे/हमें वचनबंध पर हस्ताक्षर के बाद लेकिन लेन-देन के निष्पादन से पहले "अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी" प्राप्त होती है अथवा मेरी/हमारी उस तक पहुंच होती है, तो मैं/हम अपने पद (पोजीशन) में कोई भी परिवर्तन होने पर अनुपालन अधिकारी को सूचित करूंगा/करूंगी/करेंगे तथा यह कि मैं/हम ऐसी जानकारी के सार्वजनिक होने तक कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यवहार (डीलिंग) करने से पूरी तरह से बचूंगा/बचेंगे;

(ग) कि मैंने/हमने समय-समय पर कंपनी द्वारा अधिसूचित अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता तथा पदनामित व्यक्तियों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है;

(घ) कि मैं/हम अधिग्रहण की तारीख से छह माह की न्यूनतम अवधि के लिए प्रतिभूतियों में अपना निवेश जारी रखूंगा/रखूंगी/रखेंगे;

अथवा

कि मैंने/हमने बेची गई प्रतिभूतियों के संबंध में अधिग्रहण की तारीख से 6 महीने की न्यूनतम धारण (होल्डिंग) अवधि की अपेक्षा का अनुपालन किया है;

(ङ) कि मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि लेन-देन के निष्पादन के दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा/करूंगी/करेंगे अथवा यदि लेन-देन नहीं किया जाता है, तो शून्य रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा/करूंगी/करेंगे;

(च) कि मैं/हम जानता/जानती हूँ /जानते हैं कि यदि उपर्युक्त घोषणाएं किसी भी समय भ्रामक या गलत पाई जाती हैं, तो मैं/हम संहिता के अंतर्गत संहिता में निर्धारित दांडिक परिणामों का सामना करने के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होंगे इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई, वेतन रोक दिए जाने, निलंबन आदि सम्मिलित हैं;

(छ) कि यदि बाद में ट्रेडिंग विंडो बंद करने की घोषणा की जाती है, तो मैं/हम स्वीकृत ट्रेडिंग अवधि में प्रतिभूतियों में लेन-देन न करने का वचन देता/देती हूँ /देते हैं;

(ज) कि मामले में मैंने/हमने पूरा एवं सही प्रकटीकरण किया है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता तथा इनसाइडर द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार कृपया पूर्व-क्लीयरेंस प्रदान की जाए।

हस्ताक्षर: .....

नाम .....

पता:.....

ई-मेल और टेलीफोन नंबर:.....

दिनांक .....

स्थान .....

कार्यालय उपयोग हेतु

प्राप्त आवेदन की क्रम संख्या:

आवेदन के प्राप्त होने की तारीख एवं समय:

पूर्व-क्लीयरेंस अथवा अन्यथा की सूचना की तारीख एवं समय:

पूर्व-क्लीयरेंस न देने के कारण:

अनुपालन अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

<u>नई दिल्ली</u>

फॉर्म-III

(संहिता के खंड 9.3 (ii)(ख) के अनुसरण में)

पूर्व-क्लीयरेंस की सूचना संबंधी पत्र

नाम.....

पता.....

महोदय,

प्रतिभूतियों में कतिपय लेन-देन करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी आपके दिनांक ..... के उपर्युक्त आवेदन के संदर्भ में, सूचित किया जाता है कि आपके उपर्युक्त आवेदन में यथा विवरणानुसार आप एतदद्वारा लेन-देन करने के लिए अधिकृत हैं/नहीं हैं। कृपया नोट करें कि पीएफसी की अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता तथा इनसाइडर द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग हेतु आचार संहिता के संदर्भ में, ऊपर उल्लिखित लेन-देन इस पूर्व-क्लीयरेंस की तारीख से सात ट्रेडिंग दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

यह अनुमोदन आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन में की गई विभिन्न घोषणाओं, अभ्यावेदनों और वारंटियों के आधार पर जारी किया जा रहा है।

यह अनुमोदन पत्र .....तक (अर्थात सात ट्रेडिंग दिन के लिए) मान्य है। यदि आप इस तारीख को या उससे पहले अनुमोदित लेन-देन/ व्यवहार (डील) का निष्पादन नहीं करते हैं, तो आपको प्रतिभूति में किसी भी लेन-देन/ व्यवहार (डील) को निष्पादित करने से पहले नए सिरे से व्यवहार (डीलिंग)-पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त, आपको लेन-देन या व्यवहार (डील) की तारीख से दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर संलग्न प्रारूप (**फॉर्म V**) में निष्पादित लेन-देन का विवरण दर्ज करना अपेक्षित होगा। यदि लेन-देन नहीं किया जाता है, तो 'शून्य' रिपोर्ट दी जाएगी।

कृपया यह भी नोट करें कि पीएफसी की अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता तथा इनसाइडर द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग हेतु आचार संहिता के संदर्भ में, आप ट्रेड की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर कॉन्ट्रा ट्रेड निष्पादित नहीं करेंगे।

यदि बाद में ट्रेडिंग विंडो को मंजूरी की अवधि के दौरान बंद घोषित कर दिया जाता है, तो उपर्युक्त मंजूरी स्वतः वापस ले ली जाती है।

कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
और उनकी ओर से

अनुपालन अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नई दिल्ली

फॉर्म-IV

(संहिता के खंड 9.4 (क) के अनुसरण में)

पूर्व-अनुमोदित लेन-देन के प्रकटीकरण हेतु प्रारूप

(कंपनी की प्रतिभूतियों में लेन-देन/ व्यवहार (डील) करने के दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा)

तारीख: .....

सेवा में,

अनुपालन अधिकारी
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
"ऊर्जानिधि", 1 बाराखंबा लेन
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 001.

पूर्व-अनुमोदित लेन-देन के ब्योरे

संदर्भ: आपका दिनांक ..... का अनुमोदन पत्र संख्या.....

महोदय,

मैं एतदद्वारा आपको सूचित करता हूँ कि मैंने

- कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यवहार (डील) नहीं किया है
- कंपनी की प्रतिभूतियों में ..... (तारीख डालें) को निम्नानुसार अपनी ओर से या अन्यथा व्यवहार (डील) .....(विवरण दें) किया है

धारक का नाम या निकटतम संबंधी का नाम यदि लेन-देन निकटतम संबंधी ने नाम पर है	पैन	प्रथम या संयुक्त धारक	सौदा की गई प्रतिभूतियों की संख्या	खरीदी गई/बेची गई/ सब्सक्राइब की गई	डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी (इलेक्ट्रोनिक रूप में) या भौतिक के लिए फोलियो नं. जहां प्रतिभूतियां डेबिट या क्रेडिट की जाएंगी	कीमत (रु.)

उपर्युक्त लेन-देन (नों) के संबंध में, मैं एतदद्वारा वचन देता हूँ कि मैं निम्नलिखित कोई भी या सभी दस्तावेजों का 5 वर्षों की अवधि के लिए संरक्षण करूंगा तथा अनुपालन अधिकारी/सेबी को प्रस्तुत करूंगा/करूंगी:

1. दलाल का संविदा नोट
2. दलाल को/से भुगतान का प्रमाण
3. बैंक पासबुक/स्टेटमेंट का उद्धरण (डीमैट लेन-देनों के मामले में प्रस्तुत की जाएगी
4. सुपुर्दगी अनुदेश पर्ची की प्रति (बिक्री संबंधी लेन-देन के मामले में लागू).
5. लेन-देन से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज़ .

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सही है और यह कि अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु कंपनी की पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों और कंपनी के इनसाइडर द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग हेतु आचार संहिता और/अथवा लागू विधियों/विनियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है जिससे कि उक्त लेन-देन प्रभावित होते हों।

मैं ट्रेड की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर कॉन्ट्रा ट्रेड निष्पादित नहीं करूंगा/करूंगी।

भवदीय,

हस्ताक्षर:.....

नाम .....

पता:-.....

ईमेल एवं टेलीफोन नं:- .....

तारीख.....

स्थान.....

* जो लागू न हो उसे काट दें.

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नई दिल्ली

फॉर्म V

(संहिता के खंड 9.5 के अनुसरण में)

प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग हेतु पूर्व-क्लीयरेंस का रजिस्टर

क्रम सं.	नाम	पदनाम एवं यूनिट/पता	पूर्व-क्लीयरेंस आवेदन की प्राप्ति की तारीख एवं समय	लेन-देन की प्रकृति (अर्थात खरीद या बिक्री)	आवेदन में इंगित प्रतिभूतियों की अनुमानित संख्या
1	2	3	4	5	6

आवेदन में इंगित अनुमानित प्रतिफल मूल्य	निकटतम संबंधियों के नाम यदि लेन-देन निकटतम संबंधियों के नाम पर है	अनुपालन अधिकारी द्वारा क्लीयरेंस संप्रेषण की तारीख	क्लीयरेंस न होने के कारण यदि क्लीयर न हुई हो	वास्तविक रूप से ट्रेड की गई प्रतिभूतियों की संख्या, यदि सूचित की गई हो	अभ्युक्तियां	आद्याक्षर
7	8	9	10	11	12	13

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नई दिल्ली

फॉर्म-VI

(संहिता के खंड 9.5 के अनुसरण में)

कॉन्ट्रा ट्रेड हेतु प्रतिबंध की छूट (वेबर) संबंधी रजिस्टर

क्रम सं.	नाम	पदनाम एवं यूनिट/पता	निकटतम संबंधियों के नाम यदि प्रतिभूतियां निकटतम संबंधियों के नाम पर धारित हैं	कॉन्ट्रा ट्रेड की तारीख एवं प्रकृति	प्रतिभूतियों की संख्या
1	2	3	4		5

प्रतिफल मूल्य	छूट (वेबर) हेतु कारण	छूट (वेबर) की तारीख	अभ्युक्तियां
6	7	8	9

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नई दिल्ली

फॉर्म-VII

(संहिता के खंड 11.4 के अनुसरण में)

पदनामित व्यक्ति द्वारा अपने उन निकटतम संबंधियों और व्यक्तियों के संबंध में प्रकटीकरण जिनके साथ वे "महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध" साझा करते हैं

क) सतत प्रकटीकरण (किसी भी परिवर्तन की तारीख से 30 दिनों के भीतर या वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर)

नाम (पदनामित व्यक्ति/निकटतम संबंधी/व्यक्ति जिनके साथ पदनामित व्यक्ति महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध साझा करते हैं)	संबंध	पैन या विधि द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पहचान दस्तावेज़	फोन/मोबाइल नंबर'	ई मेल आईडी

ख) पदनामित व्यक्ति द्वारा एक बार (One-Time) प्रकटीकरण

वह शैक्षणिक संस्थान जहां से पदनामित व्यक्ति ने स्नातक किया है	
पिछले कार्मिकों के नाम और उनका पता	

नाम एवं हस्ताक्षर :

पदनाम :

तारीख :

स्थान:

विनियम के अनुसार परिभाषा :-

1. निकटतम संबंधी से अभिप्राय किसी व्यक्ति के पति या पत्नी से है, और जिसमें ऐसे व्यक्ति के अथवा उसके पति या उसकी पत्नी के माता-पिता, भाई या बहन, तथा संतान सम्मिलित हैं, जिनमें से कोई भी या तो ऐसे व्यक्ति पर वित्तीय रोप से आश्रित हो, या ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूतियों में ट्रेड संबंधी निर्णय लेने के संबंध में परामर्श करता हो।
2. महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध" से अभिप्राय ऐसे संबंध से है जिसमें कोई व्यक्ति ठीक पहले के बारह महीनों के दौरान किसी भी प्रकार का भुगतान जैसे ऋण या उपहार के माध्यम से मिलने वाला भुगतान, जो ऐसे भुगतानकर्ता की वार्षिक आय के कम से कम 25% के बराबर हो, प्राप्त करता हो, किंतु इसमें वे संबंध शामिल नहीं होंगे जिनमें भुगतान समुचित दूरी बनाए रखते हुए किए जाने वाले लेन-देनों के आधार पर किया जाता हो।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नई दिल्ली

फॉर्म – VIII

(संहिता के खंड 11.5 के अनुसरण में)

शेयरधारिताओं के प्रकटीकरण हेतु रजिस्टर

प्रारंभिक प्रकटीकरण							
नाम, पदनाम और कार्मिक संख्या/पैन /फोन या मोबाइल नंबर/ ई-मेल आईडी	यूनिट	कार्मिक के रूप में नियुक्ति / केएमपी / निदेशक / प्रोमोटर बनने की तारीख	जानकारी प्राप्त करने की तारीख	प्रतिभूतियों की संख्या	अधिग्रहण की तारीख	प्रतिफल मूल्य	नाम (यदि प्रतिभूतियां निकटतम संबंधी के नाम पर धारित हैं)

सतत प्रकटीकरण							
नाम, पदनाम और कार्मिक संख्या/पैन / फोन या मोबाइल नंबर/ ई-मेल आईडी	यूनिट	कार्मिक के रूप में नियुक्ति / केएमपी / निदेशक / प्रोमोटर बनने की तारीख	जानकारी प्राप्त करने की तारीख	प्रतिभूतियों की संख्या	अधिग्रहण की तारीख	प्रतिफल मूल्य	नाम (यदि प्रतिभूतियां निकटतम संबंधी के नाम पर धारित है)

अन्य संबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रकटीकरण			
नाम, पदनाम और कार्मिक संख्या/पैन / फोन या मोबाइल नंबर/ ई-मेल आईडी	जानकारी प्राप्त करने की तारीख	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रतिफल मूल्य

फॉर्म क

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015

[विनियम 7(1) (क) विनियम 6 (2) के साथ पठित]

कंपनी का नाम: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कंपनी का आईएसआईएन: INE134E01011

विनियम 6(2) में यथा उल्लिखित प्रोमोटर, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी), निदेशक और ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा धारित प्रतिभूतियों का विवरण

नाम, पैन, सीआईएन/डीआईएन एवं संपर्क नं. के साथ पता	व्यक्ति की श्रेणी (प्रोमोटर/केएमपी/निदेशक /निकटतम संबंधी/अन्य आदि)	विनियम के लागू होने की तारीख तक धारित प्रतिभूतियां		शेयरधारिता का %
		प्रतिभूतियों की प्रकृति (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	संख्या	
1	2	3	4	5

नोट: "प्रतिभूति" का अर्थ सेबी के विनियम 2(1) (i) (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अंतर्गत यथापरिभाषित अर्थ से होगा।

कंपनी के प्रोमोटर, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी), निदेशक और विनियम 6(2) में उल्लिखित ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा कंपनी के डेरिवेटिव में धारित ओपन इंटरेस्ट (ओआई) का विवरण

विनियम के लागू होने की तारीख तक धारित भविष्य की संविदाओं के लिए ओपन इंटरेस्ट (ओआई)			विनियम के लागू होने की तारीख तक धारित विकल्प (ऑप्शन) संविदाओं के लिए ओपन इंटरेस्ट (ओआई)		
संविदा विनिर्देश	यूनिटों की संख्या (संविदाओं* का लॉट आकार)	रुपए के संदर्भ में कल्पित मूल्य	संविदा विनिर्देश	यूनिटों की संख्या (संविदाओं* का लॉट आकार)	रुपए के संदर्भ में कल्पित मूल्य
6	7	8	9	10	11

नोट : विकल्पों (ऑप्शन) के मामले में, कल्पित मूल्य की गणना विकल्पों के प्रीमियम प्लस स्ट्राइक कीमत के आधार पर की जाएगी।

नाम एवं हस्ताक्षर :
पदनाम :
तारीख :
स्थान:

फॉर्म ख

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015

[विनियम 7 (1) (ख) विनियम 6 (2) के साथ पठित]

कंपनी का नाम: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कंपनी का आईएसआईएन: INE134E01011

सूचीबद्ध कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या निदेशक की नियुक्ति पर या प्रोमोटर बनने पर एवं विनियम 6 (2) में उल्लिखित ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा धारित प्रतिभूति का विवरण

नाम, पैन, सीआईएन/ डीआईएन एवं संपर्क नं. के साथ पता	व्यक्ति की श्रेणी (प्रोमोटर/ केएमपी/ निदेशक/निकटतम संबंधी / अन्य लोग आदि)	निदेशक / केएमपी की नियुक्ति की तारीख या प्रोमोटर बनने की तारीख	प्रोमोटर बनने /निदेशक/ केएमपी की नियुक्ति के समय धारित प्रतिभूतियां		शेयरधारिता का %
			प्रतिभूति की प्रकृति (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	संख्या	
1	2	3	4	5	6

नोट: "प्रतिभूति" का अर्थ सेबी के विनियम 2(1) (i) (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अंतर्गत यथा परिभाषित अर्थ से होगा।

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी), निदेशक की नियुक्ति पर या सूचीबद्ध कंपनी के प्रोमोटर बनने पर एवं विनियम 6 (2) में उल्लिखित अन्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा कंपनी की डेरिवेटिव्स में धारित ओपन इंटरेस्ट (ओआई) का विवरण

प्रोमोटर बनने/निदेशक/केएमपी की नियुक्ति के समय धारित भविष्य की संविदाओं के लिए ओपन इंटरेस्ट (ओआई)			प्रोमोटर बनने/निदेशक/केएमपी की नियुक्ति के समय धारित विकल्प संविदा का ओपन इंटरेस्ट (ओआई)		
संविदा विनिर्देश	यूनिटों की संख्या (संविदाओं* का लॉट आकार)	रुपए के संदर्भ में कल्पित मूल्य	संविदा विनिर्देश	यूनिटों की संख्या (संविदाओं* का लॉट आकार)	रुपए के संदर्भ में कल्पित मूल्य
7	8	9	1 0	1 1	1 2

नोट : विकल्पों (ऑप्शन) के मामले में, कल्पित मूल्य की गणना विकल्पों के प्रीमियम प्लस स्ट्राइक कीमत के आधार पर की जाएगी।

नाम एवं हस्ताक्षर:

पदनाम:

तारीख:

स्थान:

फॉर्म ग

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015

[विनियम 7(2) विनियम 6(2) के साथ पठित]

कंपनी का नाम: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कंपनी का आईएसआईएन: **INE134E01011**

विनियम 6 (2) में यथा उल्लिखित किसी सूचीबद्ध कंपनी के प्रोमोटर, कार्मिक या निदेशक और ऐसे अन्य व्यक्तियों की प्रतिभूतियों की धारिता में परिवर्तन का विवरण

नाम, पैन, सीआईएन /डीआईन और पते के साथ संपर्क नं.	व्यक्ति की श्रेणी (प्रोमोटर / केएमपी /निदेशक /निकटतम संबंधी/ अन्य आदि	अधिग्रहण / निपटान से पहले धारित प्रतिभूतियां		प्रतिभूतियों का अधिग्रहण / निपटान				अधिग्रहण / निपटान पश्चात धारित प्रतिभूतियां		आबंटन सलाह/ शेयरों के अधिग्रहण/ निर्दिष्ट शेयरों की बिक्री की तारीख		कंपनी को सूचना देने की तारीख	अधिग्रहण/निपटान का तरीका (बाजार/सार्वजनिक/अधिकार/ अधिमान्य प्रस्ताव/बाजार से परे/परस्पर अंतरण, ईएसओपी (यों) पर आदि)
		प्रतिभूति का प्रकार (उदाहरण के लिए- शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	शेयर धारिता का % और संख्या	प्रतिभूति का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	संख्या	मूल्य	लेन-देन प्रकार (खरीद /बिक्री/गिरवी /प्रतिसंहरण/ इनवोक)	प्रतिभूति का प्रकार (उदाहरण के लिए जैसे - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	शेयर धारिता का % और संख्या	से	तक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12	13	14

नोट: "प्रतिभूतियों" का अर्थ सेबी के विनियम 2 (1) (i) (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अंतर्गत यथापरिभाषित अर्थ से होगा।

विनियम 6 (2) में यथा उल्लिखित किसी सूचीबद्ध कंपनी के प्रोमोटर, कार्मिक या निदेशक एवं अन्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा कंपनी के डेरिवेटिव में ट्रेडिंग का विवरण

डेरिवेटिव में ट्रेडिंग (संविदा, फ्यूचर्स या ऑप्शन आदि के प्रकार निर्दिष्ट करें)						एक्सचेंज जिस पर व्यापार निष्पादित किया गया
संविदा का प्रकार	संविदा विनिर्देश	खरीद		बिक्री		
		नाममात्र मूल्य	यूनिटों की संख्या (संविदाओं* का लॉट आकार)	यूनिटों की संख्या	यूनिटों की संख्या (संविदाओं* का लॉट आकार)	
15	16	17	18	19	20	21

नोट : विकल्पों (ऑप्शन) के मामले में, कल्पित मूल्य की गणना विकल्पों के प्रीमियम प्लस स्ट्राइक कीमत के आधार पर की जाएगी।

नाम और हस्ताक्षर:

पदनाम:

दिनांक:

स्थान:

फॉर्म घ

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015

विनियम 7 (3) - कंपनी द्वारा अभिनिर्धारित अन्य संबद्ध व्यक्तियों द्वारा लेन-देन

कंपनी द्वारा अभिनिर्धारित अन्य संबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग का विवरण

कंपनी द्वारा अभिनिर्धारित अन्य संबद्ध व्यक्तियों के नाम, पैन, सीआईएन / डीआईएन एवं संपर्क नं.	कंपनी के साथ संपर्क	अधिग्रहण / निपटान से पूर्व धारित प्रतिभूतियां		अधिग्रहण/निपटान की गई प्रतिभूतियां			अधिग्रहण / निपटान पश्चात धारित प्रतिभूतियां		आबंटन सलाह/ शेयरों के अधिग्रहण/ निर्दिष्ट शेयरों की बिक्री की तारीख		कंपनी को सूचना देने की तारीख	अधिग्रहण/निपटान का तरीका (बाजार/सार्वजनिक/अधिकार/ अधिमान्य प्रस्ताव/बाजार से परे/परस्पर अंतरण, ईएसओपी (यों) पर आदि)
		प्रतिभूति का प्रकार (उदाहरण के लिए- शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	शेयरधारिता की संख्या एवं %	प्रतिभूति का प्रकार (उदाहरण के लिए- शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	संख्या	मूल्य	प्रतिभूति का प्रकार (उदाहरण के लिए- शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	शेयरधारिता की संख्या एवं %	से	तक		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12

नोट: "प्रतिभूतियों" का अर्थ सेबी के विनियम 2 (1) (i) (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अंतर्गत यथा परिभाषित अर्थ से होगा।

डेरिवेटिव में ट्रेडिंग (संविदा, फ्यूचर्स या ऑप्शन आदि के प्रकार निर्दिष्ट करें)						एक्सचेंज जिस पर व्यापार (ट्रेड) निष्पादित किया गया था
संविदा का प्रकार	संविदा विनिर्देश	खरीद		बिक्री		
		नाममात्र मूल्य	यूनिटों की संख्या (संविदाओं* का लॉट आकार)	यूनिटों की संख्या	यूनिटों की संख्या (संविदाओं* का लॉट आकार)	
15	16	17	18	19	20	21

नोट : विकल्पों (ऑप्शन) के मामले में, कल्पित मूल्य की गणना विकल्पों के प्रीमियम प्लस स्ट्राइक कीमत के आधार पर की जाएगी।

हस्ताक्षर:

पदनाम:

दिनांक:
स्थान:

अनुलग्नक – क

"विधिसम्मत प्रयोजन" के निर्धारण हेतु नीति

(सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) (संशोधन) विनियम- 2018 के विनियम 3(2क) के अनुसरण में)

इनसाइडर द्वारा अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी को साझा करना "विधिसम्मत प्रयोजन" के लिए माना जाएगा यदि यह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है:

क. अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी को केवल 'जानने की आवश्यकता' के आधार पर साझा किया जाएगा, " जानने की आवश्यकता है" का अर्थ है कि यूपीएसआई का केवल उन लोगों के लिए खुलासा किया जाएगा जिन्हें अपनी ड्यूटियों का निर्वहन करने के लिए जानकारी की आवश्यकता है और जिनके पास ऐसी जानकारी होने से हितों का टकराव या जानकारी के दुरुपयोग की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

ख. इनसाइडर केवल कंपनी के हित में और / या विधिक अपेक्षाओं के अनुपालन में बाहरी एजेंसियों के साथ यूपीएसआई को साझा करेगा ।

ग. विधिसम्मत प्रयोजन के अनुसरण में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) प्राप्त करने वाले व्यक्ति को संहिता के प्रयोजन के लिए 'इनसाइडर' माना जाएगा।

घ. अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) के इस प्रकार साझा करने में सामान्य कारोबार जैसे ड्यूटियों के निर्वहन, विधिक दायित्वों के निर्वहन आदि के दौरान भागीदारों, सहयोगियों (कोलबोरेटर), ऋणदाताओं, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, बैंकरों, मर्चेंट बैंकरों, कानूनी सलाहकारों, लेखापरीक्षकों, इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनलों या अन्य सलाहकारों अथवा परामर्शदाताओं आदि के साथ साझा करना सम्मिलित होगा, बशर्ते कि यूपीएसआई की ऐसी जानकारी सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम और पीएफ़सी की इनसाइडर ट्रेडिंग संहिता के निषेधों से बचने या रोकने के लिए साझा न की गई हो।

ङ. इनसाइडर अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) को साझा करते समय सुनिश्चित करेगा कि ऐसी यूपीएसआई के संबंध में तृतीय पक्षकार (थर्ड पार्टी) भी इस संहिता से बाध्य है। यह यूपीएसआई को साझा करने वाले ऐसे इनसाइडर द्वारा या तो ईमेल के माध्यम से सम्यक नोटिस भेजकर/पत्र जारी करके/गोपनीयता बनाए रखने के लिए संविदात्मक करार में शामिल करके या गोपनीयता करार पर हस्ताक्षर करके सुनिश्चित किया जाएगा।